उच्चतम न्यायालय की विधिक सहायता समिति से सहायता

1677. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति से सहायता प्राप्त करने के क्या मापदंड हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमार मंगलम्) : (क) उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति से सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड विहित किया गया है :–

I. ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से आय 12,000 रु० (केवल बारह हजार रुपए) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है :

परंतु यह कि आय की यह अधिकतम सीमा, समुचित मामलों में उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा, युक्तियुक्त सीमा के भीतर शिथिल की जा सकती है। वार्षिक आय की यह सीमा, विवाद के उन मामलों में लागू नहीं होती जिनमें एक पक्षकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति का है या वह एक महिला अथवा बालक है।

II. विधिक सहायता किसी ऐसे व्यष्टिक मामले या जनहित के मुकदमें दी जा सकती है जिसकी सिफारिश विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष करे।

III. समिति–

(i) अत्यन्त सार्वजनिक महत्व के मामले में, या

(ii) किसी परीक्षण के मामले में, जिसके निर्णय का प्रभाव, समाज के कमजोर वर्ग के अनेक अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाला है; या

(iii) किसी ऐसे मामले में, जो ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिक सहायता के योग्य समझा जाता है यद्यपि कि उसमें आय की पात्रता की शर्तें पूरी न होती हों,

विधिक सहायता की मंजूरी दे सकती है।

(ख) विधिक सहायता, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, 2098 व्यक्तियों को दी गई है :–

वर्ष		फायदा प्राप्तकर्ताओं की सं०
1989	. .	692
1990	. .	689
1991	. .	717
	कुल :	2098

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया जाना

1678. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा समर्थित प्रस्तावों के अनुसरण में, सरकार ने, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में दौरे पर रहने पर दिए जाने वाले दैनिक भत्ते में वृद्धि करने और निःशुल्क सुसज्जा की सीमा में वृद्धि और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में सरकारी आवासों में विद्युत और जल प्रभारों के संबंध में अधिकतम सीमा में वृद्धि और सेवा-निवृत्ति पश्चात् दिए जाने वाले फायदों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान में वृद्धि के प्रश्न का संबंध है, न्यायमूर्तियों के सम्मेलन ने, 30 अगस्त, 91 से 1 सितंबर, 91 के दौरान हुई उनकी बैठक में, ऐसी वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए, एक संकल्प पारित किया था। इस सुझाव पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

Pending cases in J and K State

1679. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of arrears of pending cases in J and K referring to each Munsiff, each District Judge, Sub-Judge, each Additional District Judge, High Court of Jammu, High Court Srinagar;

(b) what is the break up of arrears relating to civil Revenue, criminal, constitutional, company cases in each of the said courts; and

(c) what are the reasons for accumulation of arrears and how Governments propose to remedy this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) to (c) As on 31-12-1988, a total of 130039 cases were pending in District Subordinate Courts in J and K. The Pendency of cases in the High Court of Jammu and Kashmir as on 31-12-1989, was 42099. The time and effort involved in collecting such detailed break-up of arrears in respect of each Judicial Officer may not be commensurate with the results likely to be achieved. The accumulation of arrears is due to a variety of complex factors like increased institution of cases, delay in disposals, shortage of infra-structural support etc. To this has been added the factor of disturbed conditions in a part of the State.

The various recommendations of the Arrears Committee which went into the problem of arrears in Courts have been commended to all the State Governments/High Courts including the Government of J and K and the High Court of Jammu and Kashmir for suitable follow-up action.

Investigation against SKF Bearing India Limited

1680. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have recently ordered an investigation against M/s. S.K.F. Bearing India Limited an affiliate of SKF Bearing Industries Limited of Sweden, for creating artificial shortage in the bearings market and if so, what are the details thereof; and

(b) whether the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission had taken action against this